

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: विज्ञापन सं. 08/भर्ती/Chemist/Ayurved Dept./EP-I/2021-22

दिनांक : 27.11.2021

आयोग द्वारा आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के लिए राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के अन्तर्गत केमिस्ट (Chemist) के 01 पद पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

Name of Post	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
केमिस्ट (Chemist)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abbreviations Used : Gen. – General, UR- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections																									

Abbreviations Used : Gen. – General, UR- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections

शैक्षणिक योग्यताएं:

1. M. Pharma or M.Sc. (Chemistry) from a University established by law in India. Preference shall be given to the person having Ph.D. in concerned subject from a University established by law in India.
2. Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित “साक्षात्कार से पूर्व” शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।
नोट :- साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।

पे मैट्रिक्स लेवल पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-14 **नोट :-** राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

आयु सीमा दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष से कम।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाई गई वर्गवार की रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women Explanation: - In the case of widow, she will have to <u>furnish the certificate</u> of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to <u>furnish proof of divorce</u> .	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	रिजर्विस्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Service personnel who were transferred to the Reserve.	
6.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for an appointment under these Rules.	
7.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी। In the case of other ex-prisoners, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
8.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। A person appointed temporarily to the post in the service shall be deemed to be within the age-limit had he been within the age-limit when he was initially appointed even though he has crossed the age limit when he appears finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had he been eligible as such at the time of his initial appointment.	
9.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, such candidates shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
10.	राजस्थान राज्य के कार्य कलापों में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in the Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview.	
11.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers & Short Service Commissioned Officers after release from Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
12.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in substantive capacity shall be 40 years.	
13.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आभेदन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबधित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be ten	

	years for Ex-servicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on a lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
14.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।	
नोट - - उपर्युक्त वर्णित क्र.सं. 1 से 13 तक के आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधानों में से किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। - कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्रूटियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा। - उक्त पद आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2014-15 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2022 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। - राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। - आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।	
अन्य विवरण	
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।
संवीक्षा परीक्षा का स्थान व माह	संवीक्षा परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के होंगे। संवीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 07.12.2021 से दिनांक 26.12.2021 रात्रि 12:00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	- उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। - ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। - Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। - अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा। - अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। - अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। - अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। - आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। - राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमिलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। - अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे। - आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव के दस्तावेज आवेदन के समय ही अपलोड करें, अन्यथा बाद में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। केवल आवेदन के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।
ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए भेजी जायेगी। एस.एम.एस. से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :- - यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। ऑनलाईन संशोधन के तहत आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जायेगा। आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाईन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। - आयोग द्वारा परीक्षा तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए फोटो एवं नाम के अतिरिक्त किसी भी संशोधन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा। संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी। - आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। - सभी प्रकार के संशोधनों हेतु शुल्क रुपये 500/- निर्धारित है। - आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।	
परीक्षा शुल्क:-	

(क) सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :-	रुपये 350/-
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु :-	रुपये 250/-
(ग) नि:शक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु :-	रुपये 150/-
(घ) टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदक हेतु :-	रुपये 150/-
नोट :-	
1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। 2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।	
अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-	
1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। 2. अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें। 3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी। 4. अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। 5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवाये। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। 6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा। 7. आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। 8. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। 9. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। 10. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् परन्तु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की तिथि तक जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 11. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा। 12. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी। 13. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। 14. परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। 15. परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्र में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। 16. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। 17. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	

18. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। 19. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा। प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :- आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :- 1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। 2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है। 3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा। 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए। 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा। 8. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक होना आवश्यक है। 9. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार व्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। “कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।” 10. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा। 11. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/संतानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/संतान पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा। 12. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। 15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा। 16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। 17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिः/ऑफलाइन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। विशेष नोट :- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी

आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(आशुतोष गुप्ता)
सचिव